तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रेफरेन्स/टी.ए./4007/2004/डूंगरपुर सरकार बनाम मोहन लाल	

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित–

श्री आर.पी. शर्मा, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
श्री अशोक नाथ, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 व 2
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या–3
शेष के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 05.12.2018

यह रेफरेन्स जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 04–08–2004 से राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, डूंगरपुर ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत वाद में उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–05–2001 से प्रतिवादी लालजी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 461 रकबा 15बिस्वा भूमि को वादीगण के नाम दर्ज करने के आदेश दे दिये किन्तु वादीगण सर्वश्री मोहनलाल, वखतराम एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 चम्पालाल, केशवलाल के खाते का खेत खसरा नम्बर 61 रकबा 18बिस्वा भूमि प्रतिवादी प्रतिवादी लालजी के खाते दर्ज करने का आदेश नहीं दिये जाने से पारित निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 04–08–2004 से उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर द्वारा वाद संख्या 77/1997 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–05–2002 को निरस्त कराने हेतु यह रेफरेन्स प्रस्तुत मण्डल में प्रेषित किया गया है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/टी.ए./4007/2004/डूंगरपुर सरकार बनाम मोहन लाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत वाद में उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–05–2001 से प्रतिवादी लालजी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 461 रकबा 15बिस्वा भूमि को वादीगण के नाम दर्ज करने के आदेश दे दिये किन्तु वादीगण मोहनलाल, वखतराम एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 चम्पालाल, केशवलाल के खाते की आराजी खसरा नम्बर 61 रकबा 18बिस्वा भूमि प्रतिवादी लालजी के खाते दर्ज करने का आदेश पारित नहीं किये, जो प्रावधित प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–05–2002 को निरस्त किया जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि निजी पक्षकारों के मध्य विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में पारित निर्णय एवं डिकी में राज्य सरकार को कोई हित निहित नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध पक्षकार स्वयं को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिए। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से राज्य सरकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–3 ने उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, जिसे रेफरेन्स के माध्यम से निरस्त किया जा सकता है। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/टी.ए./4007/2004/डूंगरपुर सरकार बनाम मोहन लाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रेफरेन्स को स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की ओर से अप्रार्थी संख्या–3 से 5 के विरूद्ध प्रस्तुत वाद में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर द्वारा दिनांक 30–05–2002 को निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में आक्षेपित निर्णय एवं डिकी पारित किया है, जिससे किसी पक्षकार के हित प्रभावित होते है अथवा पारित निर्णय एवं डिक्री विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है तो पक्षकार स्वयं को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिए। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में व्यक्तिगत पक्षकारों के मध्य वाद में पारित निर्णय व डिक्री में राज्य सरकार का कोई हित निहित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत प्रकरण में राज्य सरकार का हित निहित नहीं होने से प्रस्तुत रेफरेन्स संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज नियमानुसार अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	